[1][धारा 8क : साधारण पद्धति के परिणामस्वरुप उद्ग्रहीत नहीं किए गए या कम उद्ग्रहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति

इस अधिनियम मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि,–

(क) माल या सेवाओं या दोनो की किसी पूर्ति पर संघ राज्यक्षेत्र कर के उद्ग्रहण (उसके गैर–उद्ग्रहण सहित) के संबंध मे कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन मे थी या है; और

(ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या है –

(i) संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए ,उन मामलो मे जहां उक्त पद्धति के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र कर उद्ग्रहीत नही किया गया था या नही किया गया है; या

(ii) संघ राज्यक्षेत्र कर की ऐसी रकम से उद्ग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, जो उक्त पद्धति के अनुसार उच्चतर रकम है,

सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर या ऐसी पूर्तियों पर इस प्रकार संदेय रकम के आधिक्य मे संघ राज्यक्षेत्र कर, यदि उक्त पद्धति न होती, उन पूर्तियों के संबंध मे संदत्त किया जाना अपेक्षित नही होगा, जिन पर संघ राज्यक्षेत्र कर उक्त पद्धति के अनुसार उद्ग्रहीत नही किया जा रहा है था या उद्ग्रहीत नही किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा था या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा है ।]

---

[1] वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा धारा 8क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।